बिहार सरकार,

खान एवं भूतत्व विभाग।

पत्रांक–2/एम0एम0(बा0)–01/17–......................../एम0, पटना, दिनांक–..........................

Web/
E-mail/Fax

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
अररिया/समस्तीपुर/दरंभगा/सीतामढ़ी/
बेगुसराय/खगडिया/शेखपुरा/शिवहर/
कटिहार।

विषयः– जिलान्तर्गत बालूघाटों की बंदोबस्ती कराने हेतु सुरक्षित जमा राशि के निर्धारण के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–3534/एम0, दिनांक–31.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्यान्तर्गत राजस्व संग्रहण में वृद्धि के उद्देश्य से आपके प्रभाराधीन जिलान्तर्गत बालूघाटों की बंदोबस्ती कराई जानी है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में आपके प्रभाराधीन जिलान्तर्गत बालू की बंदोबस्ती नहीं कराई गई है, परन्तु विभागीय स्तर पर सम्यक् विचारोंपरांत यह निर्णय लिया गया है कि यदि जिलान्तर्गत नदी का प्रवाह उपलब्ध है, तब ऐसी स्थिति में बालू का निक्षेप होना स्वभाविक है। वर्णित स्थिति में जिलान्तर्गत बालूघाटों की बंदोबस्ती करने के क्रम में विभाग द्वारा सम्पूर्ण जिला को एक इकाई मानते हुए सुरक्षित जमा राशि 10,00,000/–(दस लाख) से 20,00,000/–(बीस लाख) रू0 निर्धारित करने का प्रस्ताव है। उक्त निर्धारित सुरक्षित जमा राशि पर अपना मंतव्य/प्रस्ताव/ आपत्ति दो दिनों के भीतर विभाग को उपलब्ध कराने का कृपा की जाय, ताकि अग्रेतर निर्णय लिया जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/–
(सुशील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–../एम0, पटना, दिनांक–

E-mail/whats-App

प्रतिलिपिः– संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक–सह–सक्षम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा निदेशित किया जाता है कि एतद् संबंध में दिनांक–10.09.2018 को मध्याह्न 12:00 बजे विभाग में अपेक्षित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–......3594......../एम0, पटना, दिनांक–07/9/18..........................

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/9 7/9/18

सरकार के अवर सचिव

D/MANOJ/ALOK JI/DRAFT